



बिहार गजट

असाधारण अंक

बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

14 कार्तिक 1942 (श10)

(सं0 पटना 842) पटना वृहस्पतिवार 5 नवम्बर 2020

गृह विभाग (विशेष शाखा)

अधिसूचना

20 मार्च 2020

सं० जी/सेना-05-04/2016-2561— युद्धाभ्यास, खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम 5, 1938) की धारा 9 की उप धारा-(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल उसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में वर्णित सम्पूर्ण क्षेत्र में 01^{ली} दिसम्बर, 2017 से आरंभ होने वाली और 30 नवम्बर, 2027 को समाप्त होने वाली अवधि के दौरान, मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत करते हैं। उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-(1) के अपेक्षानुसार उक्त क्षेत्र को ऐसे क्षेत्र के रूप में, जिसके भीतर 01^{ली} दिसम्बर, 2017 से आरंभ एवं 30 नवम्बर, 2027 को समाप्त होने वाली 10 वर्षों की अवधि के दौरान आवधिक रूप से मैदानी गोलाबारी और तोपखाना अभ्यास प्राधिकृत किया जा सकता है, परिभाषित करने वाली अधिसूचना सं०-9641 दिनांक 08.11.2017, दिनांक 13.12.2017 के बिहार राजपत्र के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है तथा उक्त उप धारा (3) की अपेक्षानुसार इस अधिसूचना के जारी करने का अभिप्राय प्रकाशित करने वाली अधिसूचना सं०-876 दिनांक 01.02.2018, दिनांक 15.03.2018 के बिहार गजट के असाधारण अंक में पहले ही प्रकाशित की जा चुकी है।

भूमि का नक्शा (लैंड प्लान) एवं क्षेत्र के ब्योरे संबंधी अनुसूची का निरीक्षण जिला पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर के कार्यालय में किया जा सकता है।

अनुसूची-1

भू-क्षेत्र का ब्योरा/चौहद्दी

ग्राम— झपहां, थाना सं० 594, जमाबंदी— 4582, अंचल—बोचहां, जिला—मुजफ्फरपुर में 150 एकड़ भूमि दिनांक 05.11.1999 को केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के ग्रुप केंद्र की स्थापना हेतु अधिगृहित है और उसकी चहारदीवारी का निर्माण हो चुका है। उक्त अधिगृहित भूमि में प्लॉट (खसरा) सं० 5433, खाता सं०-32, जिसका रकबा 27.80 एकड़ में 100 मीटर बफल फायरिंग रेंज अवस्थित है। उक्त फायरिंग रेंज के चौहद्दी के बाहर आसपास बसे गांवों का सम्पूर्ण विवरण निम्न प्रकार है:—

- पूर्व—** फायरिंग रेंज से लगभग 150 मीटर की दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 77 है, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केंद्र, मुजफ्फरपुर को 2 भागों में विभाजित करता है।
- पश्चिम—** फायरिंग रेंज से लगभग 400 मीटर की दूरी पर गंगटी गांव अवस्थित है।
- उत्तर—** फायरिंग रेंज से सटे ग्रुप केन्द्र की चहारदीवारी है एवं बाहर पक्की सड़क है। फायरिंग रेंज से लगभग 400 मीटर की दूरी पर बिहार सरकार का शारीरिक प्रशिक्षण संस्थान एवं कुम्हार टोला, मोहम्मदपुर गांव है।
- दक्षिण—** फायरिंग रेंज से लगभग 250 मीटर तक केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, ग्रुप केंद्र, की जमीन एवं बाग-बगीचा स्थित है।
- यह अधिसूचना निर्गत होने की तिथि से प्रवृत्त होगी।**

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

20 मार्च 2020

सं० जी/सेना-05-04/2016-2561 का अंग्रेजी में निम्नलिखित अनुवाद बिहार राज्यपाल के प्राधिकार से इसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है, जिसे भारत संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड-(3) के अधीन अंग्रेजी भाषा में उसका प्राधिकृत पाठ समझा जाएगा।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,
सुनील कुमार,
सरकार के विशेष सचिव।

The 20th March 2020

No. G/Sena-05-04/2016-2561—In exercise of the powers conferred by sub- section (2) of section 9 of the Maneuvers, Field Firing and Artillery Practices Act, 1938 (Act 5 of 1938), the Governor of Bihar is pleased to authorize, during the period commencing from the 01st December, 2017 and ending on the 30th November, 2027, the carrying out of Field Firing and or artillery practice throughout the area described in the schedule hereto annexed. A notification, as required by sub-section (1) of the said section, defining the said areas as the area within which for a period of ten years commencing from the 01st December, 2017 and ending on the 30th November, 2027 the carrying out periodically of the field firing and the artillery practice may be authorized, has been previously published in the extra-ordinary issue of the “Bihar official Gazette”, dated 13.12.2017 with s.o. no 9641 dated 08.11.2017 and a notification in respect of the same as required by sub-section (3) of the said section publishing the intention to issue this notification has been previously published in extra-ordinary issue of the “Bihar Gazette”, dated 15.03.2018 with S.O. no.- 876, dated 01.02.2018.

The land plan may be inspected at the office of District Magistrate, Muzaffarpur.

Schedule-1

Particulars and boundary of the land-area.

150 acre land in village-Jhanpaha, P.S. No.-594, Jamabandi No. 4582, Circle-Bochaha, District-Muzaffarpur have been acquired on 05.11.1999 for construction of Group Centre of Central Reserve Police Force and its boundary fencing has been constructed. 100 meter baffle firing range is situated on plot (Khesra) No. 5433 Khata No. 32 area 27.80 acre within said acquired land. Detailed description of villages situated nearby outside of the boundary of the said firing range is given below:-

- East- National Highway No. 77 is about 150 meters from the firing range which divides Group Centre of Central Reserve Police Force, Muzaffarpur in two parts.
- West- Gangati village is situated at the distance of about 400 meters from the firing range.
- North- The boundary wall of the Group Centre is adjacent to the firing range and on its outside there is metalled road. At the distance of about 400 meters from the firing

range, Physical Training Institute of Government of Bihar and Kumhar Tola, Mohammadpur, village is situated.

South- Land and orchard of Group Centre, Central Reserve Police Force is situated upto 250 meters from the firing range.

This notification shall come in to force from the date of issue.

**By the order of the Governor,
SUNIL KUMAR,
Special Secretary to the Government.**

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 842-571+25-डी0टी0पी0।
Website: <http://egazette.bih.nic.in>